खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय,
HEC अभियंत्रण छात्रावास सं0–02 धुर्वा, राँची।

अल्पकालीन निविदा सूचना

निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले, निदेशालय झारखण्ड सरकार द्वारा **PGMS** (लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली) के प्रचार–प्रसार हेतु झारखण्ड राज्य में स्थित प्रचार सामग्री के निर्माता एजेन्सी/प्रतिष्ठान से दर निर्धारण हेतु दिनांक– 10.05.2017 को अपराहन् 3.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा की शर्त्ते

1. निविदादाता के प्रतिष्ठान का निबंधन झारखण्ड राज्य में एवं कार्यालय झारखण्ड राज्य में अवस्थित होना अनिवार्य है।
2. निविदादाता को समान कार्यक्षेत्र में कम से कम तीन वर्षो का अनुभव होना चाहिए।
3. निविदादाता प्रतिष्ठान को विगत तीन वर्षो का सरकारी/अर्ध सरकारी क्षेत्र में कार्यानुभव होना चाहिए।
4. निविदादाता प्रतिष्ठान का निबंधन लघु उद्योग ईकाई (एम.एस.एम.ई.) में होना आवश्यक है। निविदादाआ का निबंधन **ESI** में भी होना आवश्यक है।
5. निविदादाता प्रतिष्ठान का JVAT में निबंधन होना अनिवार्य है।
6. निविदादाता प्रतिष्ठान को वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्गत अधतन स्वच्छता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
7. निविदादाता प्रतिष्ठान का अथवा प्रोपराईटर के पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
8. निविदादाता का विगत तीन वर्षो में औसत वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम बीस लाख रूपये होना चाहिए। साक्ष्य के रूप में विगत तीन वर्षो के ऑडिट रिपोर्ट की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
9. किसी भी प्रकार का ज्यायंट वेंचर/कॉन्सोर्टियम लागू नहीं होगा।
10. निविदादाता को स्वप्रमाणित घोषणापत्र देना होगा कि प्रतिष्ठान को सरकार द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।
11. निविदा के लिए किसी अग्रधन की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु चयन के पश्चात सफल निविदादाता को वित्तीय बिड की राशि का 10 प्रतिशत सुरक्षा निधि के रूप में बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा।
12. उपयुर्क्त वांछित सभी दस्तावेजों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

कार्य

PGMS (लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली) के प्रचार–प्रसार हेतु पोस्टर 18 इंच **X** 24 इंच साईज में , 140 GSM के कागज पर, आसंजक (स्टीकर) के रूप में, लेमिनेटेड एवं रंगीन प्रिंट में 30,000 प्रतियों में मुद्रण करना एवं निदेश के अनुसार झारखण्ड राज्य के प्रत्येक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय में आपूर्ति करना।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय में आपूर्ति करने के लिए अलग से कोई परिवहन व्यय देय नहीं होगा।

निविदा हेतु आवश्यक निर्देश

निविदादाता को निविदा दो लिफाफे में देना होगा। पहला लिफाफा तकनीकी बिड का होगा। इस लिफाफे में निविदादाता को शर्तो के अनुसार सभी प्रकार के कागजातों की स्वअभिप्रमाणित प्रति जमा करनी होगी। दूसरा लिफाफा वित्तीय बिड का होगा। इस लिफाफे में सिर्फ दर अंकित करना होगा। दोनों लिफाफे को एक तीसरे लिफाफे में सीलबंद कर जमा करना होगा। सभी लिफाफों पर निविदादाता अपना संपर्क (पता /ई–मेल नं0 एवं टेलीफोन नं0) अवश्य अंकित करेंगे।

निविदा दिनांक– 10.05.2017 को अपराहन् 3.00 बजे तक खाद्य एवं उपभोक्ता मामले, निदेशालय HEC अभियंत्रण छात्रावास सं0–02 धुर्वा, राँची कक्ष संख्या 122 में स्वयं या प्रतिनिधि द्वारा हाथों–हाथ जमा करनी होगी। अन्य माध्यमों से निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। निर्धारित अवधि के उपरांत निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदा को उसी दिन अपराहन् 4.00 बजे को निदेशक के कक्ष में खोला जाएगा।

निविदा में किसी भी प्रकार का आंशिक अथवा पूर्ण रूप से संशोधन करने अथवा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

ह0/–
निदेशक,
खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–खा0उप0नि0–01/PGMS-03/17............................/राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि–निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि झारखण्ड के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाए।

ह0/–

निदेशक।

ज्ञापांक–खा0उप0नि0–01/PGMS-03/17.....406...../राँची, दिनांक– 26.4.17

प्रतिलिपि–अवर सचिव खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग , झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा की जाए।

25/4/17

निदेशक।